सभी बच्चों की शिक्षा और विकास के समान अवसर के लिये
लोकसभा चुनाव 2014 के प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों से बेसिक शिक्षा मंच (उत्तर प्रदेश) की अपील

आजादी के बाद संविधान में सभी बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो सपना देखा गया था वह आज भी जमीन पर उतरता प्रतीत नहीं हो रहा है। आज भी करीब एक करोड़ बच्चे स्कूल बाहर हैं व बाल श्रम से जुड़े हैं। करीब 60 प्रतिशत बच्चे हीं नियमित स्कूल जाते हैं। पांच साल की पढ़ाई के बाद मात्र आधे बच्चे साक्षर हो पाते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के गिरते स्तर के कारण शिक्षा का निजीकरण इतना बढ़ गया है जितना कि विकसित देशों में भी नहीं है। स्कूल के नाम पर सिर्फ कमरे व पुस्तकें उपलब्ध करा पाना ही शिक्षा की उपलब्धता का पैमाना नहीं हो सकता है। बच्चों को सीखना सुनिश्चित करने, सभी तरह के भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा विकास और सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सके, जनतंत्र के नींव को मजबूत कर सके।

शिक्षा में ऐसे शिक्षकों की भूमिका अहम है जो स्वप्रेरित, सक्षम व संवेदनशील हैं। ऐसे शिक्षक ही बेहतर समाज बनाने के लिये बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा पायेंगे, उनमें स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दे पायेंगें। अभिभावकों को भी बच्चों के विकास में शामिल कर पायेंगें। यह समझने की जरूरत है कि सभी माता-पिता अपने बच्चों को मतलब की शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसी शिक्षा जो कि उनके जीवन की जरूरतों और उनके ज्ञान से जुड़ी हो।

शिक्षा के हक के साथ इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि, क्यों आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, क्यों स्वास्थ्य व पोषण के अभाव में उनके जीने का हक छिना जा रहा है। अतः 18 साल तक के सभी बच्चों के सुरक्षित जन्म के साथ शिक्षा व अन्य सभी हकों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। अतः आप से अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के हकों को सुनिश्चित करने के लिये आप बुनियादी बदलाव लाने का वादा करें। बेहतर नीति बनायें, बेहतर क्रियान्वयन के लिये उपयुक्त व्यवस्था बनायें।

केन्द्र और राज्य स्तर से पहल के लिए सुझाव

- संविधान संशोधन कर जन्म से छः वर्ष के बच्चों के संतुलित पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित बचपन और पूर्वप्राथमिक शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। जन्म के साथ ही हरेक बच्चे का पंजीकरण और तीन साल के उम्र से एक पहचान कार्ड दिया जाए। आठ साल की बेसिक शिक्षा की बेहतर शुरूआत के लिये प्राइमरी स्कूलों में पांच साल से बड़े बच्चों के लिये एक साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो जोकि पूर्णतया क्रियाकलाप पर आधारित हो।

- शिक्षा के अधिकार में 18 साल तक के बच्चों को भी शामिल कर शिक्षा को मुखर रूप से काम की दुनिया से जोड़ा जाए। 14 साल के उम्र के बाद बच्चों को कौशल विकास शिक्षा का भी विकल्प दिया जाए और दो साल व चार साल की कौशल विकास शिक्षा को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अनुरूप माना जाए। कौशल विकास स्कूल खोले जाएं जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा के साथ इस दौरान बच्चों को स्थानीय कुशल कारीगरों व संस्थानों के साथ जुड़कर सीखने का मौका मिले। इसके लिए शिक्षार्थियों को स्कालरशिप दिया जाए।

- स्कूली शिक्षा में आम लोगों के ज्ञान को भी स्थान दिया जाए। किसानों, कारीगरों, महिलाओं व वंचित समुदाय के ज्ञान के आधार पर उनके बीच के विकास कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए। विकास कार्यक्रमों में लोगों के ज्ञान और उनके ज्ञान के हक को समाहित किया जाए।

- सरकारों द्वारा शिक्षा पर खर्च को बढ़ाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत किया जाए। सरकार बेसिक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले। सभी बच्चों को समान व गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी दे। राज्य सरकार के स्कूलों की गुणवत्ता केन्द्रीय विद्यालयों के अनुरूप किया जाए। बेसिक शिक्षा तंत्र को बेहतर किया जाय। शिक्षा व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिये 'भारतीय शिक्षा सेवा' का संवर्ग बनाया जाए। शिक्षा व्यवस्था को विकेन्द्रित और सहभागी बनाया जाए। शिक्षा के विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रमों को न चला कर तथा अलग से व्यवस्था न करके, सभी प्रयासों को शिक्षा विभाग की मुख्य धारा के तहत लाया जाय। पूरे देश को स्कीमों के एक समान गाइडलाइन में नही बांधा जाए।

'बेसिक शिक्षा मंच का है यह नारा हो बेहतर स्कूल हमारा' **संपर्क पताः बी-62, आनन्द नगर, रायबरेली, 229001**

सांसद निधि से शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाए। वित्तीय आवंटन समय से हो पायें तथा इसका समुचित उपयोग हो पाये इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनायी जाए। वित्तीय व्यवस्था का भी विकेन्द्रीकरण किया जाए तथा हरेक स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए। वित्तीय आवंटन व व्यय का सोशल आडिट हो।

- स्कूल को सहयोग देने वाले अकादमिक संस्थानों को पर्याप्त स्वायतत्ता तथा बेहतर अकादमिक नेतृत्व लेने का अवसर दिया जाए। जिले के शिक्षा की गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को दिया जाय। उन्हें कार्यक्रम तय करने तथा निर्णय लेने के पर्याप्त अधिकार दिया जाय। साथ ही डायट को सुदृढ़ करने के लिये पर्याप्त और सक्षम प्रवक्ताओं तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाय।

- शिक्षकों को अकादमिक रूप से सबल बनाते हुए उपयुक्त अवसर और माहौल दिया जाय। इससे ही शिक्षक सक्षम व स्वप्रेरित हो पाएगें। स्कूलों के बेहतर प्रबन्धन के लिए प्रधानाध्यापकों को प्रशासनिक अधिकार दिये जायें तथा उन्हें अपनी भूमिका ठीक से निभा पाने के लिए नियमित सहयोग दिया जाय। प्रधानाध्यापक अपने स्कूल की बेहतरी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के साथ त्रैमासिक योजना बनायें तथा योजना के अनुसार प्रगति के लिये जिम्मेदार हों।
- बच्चों के सीखने और विकास में अभिभावक समुचित भूमिका निभा पायें, शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित करने में वे सक्षम व सक्रिय हो पायें, इसके लिये स्कूल प्रबंध समिति को संकुल और विकास खण्ड स्तर पर अभिभावक मंच के रूप में संगठित किया जाए। संकुल, विकास खंड और जिले स्तर पर शिक्षा संवाद आयोजित कर अभिभावक मंच को शिक्षा में प्रगति की समीक्षा व नियोजन में शामिल किया जाए। निजी स्कूलों में भी अभिभावकों की समिति तथा एक ब्लाक के स्कूलों के अभिभावकों के संयुक्त मंच का प्रावधान हो। विद्यालय प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित किया जाय। सांसद अपने क्षेत्र के कुछ स्कूलों के विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में प्रतिभाग करें, स्कूलों का अवलोकन करें।
- 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर सक्षम और क्रियाशील किया जाय। स्कूल प्रबंध समिति और अभिभावक मंच से आयोग का संपर्क हो जिससे कि समुचित निगरानी संभव हो।

उत्तर प्रदेश स्तर से पहल के लिए सुझाव

- पर्याप्त संख्या में सक्षम और उत्साही शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। सभी स्कूलों में मानक के अनुसार और समान अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता हो। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए।
- पंचायती राज व शहरी निकाय को शिक्षा अधिकार कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी बनाये जाने के अनुसार उन्हें पर्याप्त संसाधन और सलाह दी जाए जिससे कि वे अपने क्षेत्र के सभी बच्चों की बेहतर शिक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पायें। शिक्षा अधिकार हनन की स्थिति में पंचायती राज व शहरी निकाय से समुचित कार्यवाही की अपेक्षा भी की जा सके।
- स्कूल बाहर व नियमित न आने वाले बच्चों की पहचान का कार्य स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी में हो तथा इस कार्य में वोलंटियरों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को जोड़ा जाय। पंचायत के नेतृत्व में ग्राम सभा की खुली बैठक में स्कूल बाहर बच्चों के अभिभावकों को शामिल कर सत्यापन हो तथा बच्चों के स्कूल न जा पाने के कारणों को समझा जाय व उपाय सोचे जायें। किसी स्कूल के दायरे में रहने वाले हर एक बच्चे को उस स्कूल में बिना किसी शुल्क के बेसिक शिक्षा पाने का अवसर मिले।
- शिक्षा अधिकार कानून में स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य जिला परिषद, ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से या स्कूल पर प्रशासनिक नियंत्रन रखने वाली किसी अन्य निकाय से है। परन्तु नियमावली के धारा दो में इसे परिभाषित नही किया गया है। नियमावली के धारा 4-3 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से है। परन्तु शिकायत निवारण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिनिम के तहत गठित ग्राम शिक्षा समिति को भूमिका दी गई है। जबकि कानून में शिकायत स्थानीय प्राधिकारी से करने का प्रावधान है। ग्राम शिक्षा समिति में सचिव के रूप शिक्षक हीं होते हैं। किसी अभिभाावक को उसी शिक्षक से भी

शिकायत हो सकती है। इस असमंजस को समाप्त कर ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला परिषद को शिकायत प्राप्त करने, जांच करने व समुचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाए।

- 'नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' के तहत शिक्षा अधिकार के हनन पर समुचित कार्यवाही हो पाने के लिए 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' को शीघ्र गठित कर उसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर सक्षम और क्रियाशील किया जाय।
- शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा करने व बच्चों के सीख में समुचित विकास की जिम्मेदारी हो, न कि पाठ्य पुस्तकों के पाठों को क्रम से पूरा करने की। प्रशासनिक निगरानी के गलत तरीकों के कारण शिक्षक शिक्षण कार्य की औपचारिकता निभाने भर को मजबूर हो जाते हैं, न कि बच्चों की जरूरत के अनुसार शिक्षण कार्य करने के। यह सुनिश्चित किया जाय कि दो-तीन साल की प्राथमिक शिक्षा से अधिकांश बच्चे पढ़ने-लिखने व गणित की आधारभूत दक्षतायें हासिल कर लें।
- पिछले दस सालों में सरकारी विद्यालयों के रख-रखाव व विकास अनुदान की राशि को नही बढ़ाया गया है। इन हालातों में स्कूल की कई बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नही हो पाती है। स्कूल शिक्षा अधिकार कानून के मंशा के अनुसार सभी बच्चों के सीख को बनाने के लिए प्रयास कर पाये, इसके लिए स्कूलों को हरेक साल समुचित अनुदान मई माह में ही उपलब्ध कराया जाए। अनुदान राशि लगभग पच्चीस हजार हो तथा छात्र-संख्या के अनुसार हो।
- कक्षा 3 से 7 तक के उन बच्चों को, जो कि हिन्दी की बुनियादी दक्षता हाशिल नही कर पाये हैं, कार्यपुस्तिका और सीखने का विशेष अवसर सत्र के शुरूआत में उपलब्ध करवाया जाए जिससे कि वे पढ़ पाने की समुचित क्षमता बना पायें और कक्षा के पुस्तकों को पढ़ कर समझ पायें।
- स्कूलों में मध्याह्न भोजन का बेहतर और विकेन्द्रित प्रबंधन हो, इसके लिए प्रयास किये जाएं। हरेक बच्चे के लिए भोजन करने के लिए प्लेट-कटोरी आदि की व्यवसथा की जाए।

बेसिक शिक्षा मंच (उत्तर प्रदेश)

लोकसभा चुनाव 2014 के प्रत्याशी तथा राजनीतिक दल के द्वारा मांगों का समर्थन व वादा

मैं वादा करता/करती हूं कि चुने जाने पर मैं संसद में और सरकार में शामिल होने पर सरकार में बच्चों के शिक्षा और विकास के हक को सुनिश्चित करने के लिये कार्य करूंगा/करूंगी। मैं उठाये गये मांगों के समर्थन में हूं तथा विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयास करूंगा/करूंगी।

अथवा

राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मैं वादा करता/करती हूं कि हमारा दल संसद में सभी बच्चों के शिक्षा और विकास के हक को सुनिश्चित करने के लिये कार्य करेगी। सरकार से अपेक्षित पहल कराने के लिए तत्पर रहेगा। हमारा दल उठाये गये मांगों के समर्थन में है और विशेष रूप से इन बातों को बढ़ायेगा।

.....

.....

.....

.....

नाम..... संसदीय क्षेत्र..... हस्ताक्षर .....

राजनीतिक दल का नाम..... प्रतिनिधि का नाम व पद .....

पता ..... हस्ताक्षर .....

मांगों के समर्थन में संगठन व जनमानस

	व्यक्ति का नाम	संगठन/समिति/संस्था का नाम	पता
1.			
3.			
5.			
7.			
9.			
2.			
4.			
6.			
8.			
10.			
11			
12			
13			
14			
15			

बेसिक शिक्षा मंच - सभी बच्चों की शिक्षा अधिकार को सुनिश्चित कराने की सामाजिक पहल

'बेसिक शिक्षा मंच' उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों, शिक्षा तथा वंचित समुदाय के लिए काम करने वाली संस्थाओं, शिक्षाविदों का मंच है। राईट टू एजूकेशन फोरम, के द्वारा देश के स्तर पर और स्टेट कलेक्टिव फार राईट टू एजूकेशन, के द्वारा राज्य के स्तर पर शिक्षा हक के लिए किए जा रहे प्रयासों में 'बेसिक शिक्षा मंच' सहयोगी है।

सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के हक को बढ़ावा देने के लिये 'बेसिक शिक्षा मंच' 2007 से उभरना शुरू हुआ। इसकी पृष्ठभूमि 2005 से बननी शुरू हुई जब शिक्षा जैसी दीर्घगामी लाभ के लिये भी आम वंचित अभिभावक स्कूल व ब्लाक स्तर पर संगठित होना शुरू हुए। फिर विभिन्न जिलों के स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ 2007 के विधान सभा चुनाव के दौरान व्यापक स्तर पर प्रत्याशियों तक शिक्षा के मांग को ले जाया जा सका। बेसिक शिक्षा मंच के प्रयासों में उत्तर प्रदेश की लगभग 600 संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अगुवाई ली जाती रही है। इस मंच के विकास के लिए लोकमित्र पहल कर रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव, 2012 के विधान सभा चुनाव और पंचायत चुनाव/स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भी प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों को शिक्षा में बदलाव की जरूरतों से अवगत कराने के प्रयास होते रहे हैं।

मंच द्वारा 2010 तक 'गुहार' बुलेटिन तथा उसके बाद 'जनपहल' बुलेटिन के माध्यम से नीति-निर्धारकों तक बेहतरी के विकल्पों को सुझाने का प्रयास सतत् रूप से किया जाता रहा है। मंच समय-समय पर सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए कई प्रकार के अभियानों, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है। इन प्रयासों से जमीनी स्तर पर और नीति के स्तर पर कई सकारात्मक पहल हुए हैं।

'बेसिक शिक्षा मंच का है यह नारा हो बेहतर स्कूल हमारा' **संपर्क पताः बी-62, आनन्द नगर, रायबरेली, 229001**